# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0:–21/2012** **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. देवीसिंह पुत्र मंगू जाति गूजर निवासी ग्राम मारकपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. रूहानी पुत्र मंगू जाति गूर्जर निवासी ग्राम मारकपुर,
2. सुगनी पुत्र मंगू जाति गूर्जर निवासी ग्राम मारकपुर,
3. मु0 लीली स्त्री सुगनी जाति गूर्जर निवासी मारकपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ उप तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर ।
4. ग्राम पंचायत नसवारी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नसवारी पं0 स0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
5. नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 सं0 1 व 4 बाबजूद सूचना अनुपस्थित ।
3. श्री राधेलाल गूर्जर अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3
4. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :–09.03.2018**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 5.10.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्मईक्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 194 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा, 27 रकबा 1 बीधा 9 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा, 17/1 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम मारकपुर का वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें । उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 एवं बदले के कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी के भाई बदले के जीवनकाल में ही प्रतिवादी नं0 3 ने प्रतिवादी नं0 2 सुगनी से घरवासा कर लिया तथा एक लड़की संतोष को जन्म दिया । बदले सन् 2002 में फौत हो गया जिसका कियाकर्म वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने किया



9/3/18

लेकिन अब प्रतिवादी नं0 2 व 3 के मन में बेईमानी आ रही है तथा प्रतिवादी सं0 3 के बदले की विरासत अपने नाम दर्ज कराना चाहती है जबकि उसके द्धारा घरवासा करने पर यह अधिकार नहीं है । प्रतिवादी नं0 2 व 3 पति पत्नि है जो बदले की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्से पर वादी व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 2 काबिज है । प्रतिवादीगण नं0 4 व 5 से मिलकर मृतक बदले की आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 3 के हक में दर्ज कराना चाहते हैं । यदि वे अपने इस नापाक ईरादे में कामयाब हो गये तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए वादी को विवादित आराजी का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा दि0 7.2.2011 को प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 निय 6, 7 खारिज किया जाकर कार्यवाही एकतरफा की गई । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर वादी का वाद दि0 5.10.2011 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 5.10.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी मारकपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ में है । अपीलाट वे रेस्पो0 4 भाई है जो मंगू के पुत्र हैं । अपीलांट, प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अलावा एक अन्य भाई बदले और था जिसकी 2002 में मौत हो गई । रेस्पो0 सं0 3, लीली बदले की स्त्री थी जिसने बदले के जीवित रहते हुए प्रतिवादी सं0 2 सुगनी से घरवासा कर लिया तथा सुगनी और लीली से एक लड़की संतोष पैदा हुई । इस प्रकार से बदले के कोई संतान नहीं थी । दिनांक 5.1.2002 को बदले फौत हो गया । इस प्रकार तीनों भाई बदले के कानूनी वारिसान हैं ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में मैंने 2005 में दावा पेश किया तो ग्राम पंचायत व तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा बनाया कि कहीं लीली के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर दें । सुगनी व लीली ने जवाब गलत पेश किया है । लीली, सुगनी की पत्नि के रूप में रहती है तथा उनसे संतोष लड़की पैदा हुई है ।

बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात बनाये परन्तु एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी । मैंने एकतरफा में बयान करवाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये मेरा दावा चार लाईनों में खारिज कर दिया । आगे कहा कि मैंने जच्चा–बच्चा कार्ड पेश किया है । संतोष का जन्म 2004 में हुआ है जबकि बदले 5.1.2002 को फौत हो गया । संतोष के मां–बाप का नाम लीली और सुगनी लिखा है । इससे प्रतिवादी का कथन गलत साबित होता है कि लीली, संतोष से गर्भवती थी । सन् 2011 में संतरा पैदा हुई । उसमें लीली और सुगनी है ।

4.3.18

तहत न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का कोई गौर नहीं कर मरमाने तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । बदले ने सुगनी के साथ कभी घरवासा नहीं किया और न ही उनके कोई लड़की जन्मी । प्रतिवादी लीली व संतोष दोनों मृतक बदले के कानूनन जायज वारिसान है और मृतक बदले की जायदाद पर काबिज हैं । प्रतिवादी लीली ने सुगनी से कोई घरवासा नहीं किया और आज भी प्रतिवादनी व मेरी पुत्री संतोष अलग रह रहे हैं और प्रतिवादनी लीली विधवा का जीवनयापन कर रही है और अपने पति मृतक बदले की चौथे हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है । वादी व उसके भाई रूगनी व सुगनी का मृतक बदले की जायदाद व विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा लीली के हक में मृतक बदले का विरासत का इन्तकाल दर्ज व तस्दीक हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

विद्वान पैरोकार सरकार राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अपील में अपीलांट का यह कहना है कि बदले की पत्नि लीली उनके जीते जी सुगनी के घरवासा कर गयी । यह रेकार्ड से व साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है । द्वितीय अपीलांट ने अपने वादपत्र में दो दस्तावेज पेश किये हैं वो फोटो प्रति हैं । असल पेश नहीं किये हैं तथा अपने बयानों से उनको प्रमाणित नहीं करवाया है । अतः प्रथम दृष्ट्या विवादित आराजी पर यही माना जावेगा कि संतोष, लीली और सुगनी की पुत्री है । यह निर्विवाद सत्य है कि बदले की पत्नि लीली है । जहां तक लीली और सुगनी के घरवासे या पुनः शादी का प्रश्न है, वह भी प्रमाणित साक्ष्य से ही सिद्ध करवानी चाहिए जो नहीं करायी गयी है ।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.10.2011 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.3.18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर